

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या- ९२/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ७५/२०१४)

कु. संध्या वर्मा बनाम रहीस खान व अन्य

०३.०९.२०२०

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद प्रार्थिनी कु संध्या वर्मा नाबालिग जरिये पिता एवं संरक्षक सतीश कुमार द्वारा एम.ए.सी.पी. सं. ७५/२०१४ में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ डिफेक्टिव सं. ५०/२०१६ कु. संध्या वर्मा बनाम मेग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. व २ अन्य में पारित आदेश दिनांक १४.०२.२०२० के अनुपालन में जमा धनराशि मुब. ६२,००८/- रु. उसके पक्ष में रिलीज किये जाने की कृपा की जाय। प्रार्थिया की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में संरक्षक/पिता सतीश कुमार का शपथपत्र ४सी२, धनराशि जमा करने से संबंधित चेक की छाया प्रति ५सी१, एफ.ए.एफ. ओ सं. ५०/२०१६ कु. संध्या वर्मा बनाम मेग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि. व २ अन्य में पारित आदेश दिनांक १४.०२. २०२० की छाया प्रति ६सी१, कु. संध्या व सतीश कुमार के आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ क्रमशः ७सी१ व ८सी१ एवं कु संध्या के खाते की छाया प्रति ९सी१ प्रस्तुत किये गये हैं। ४सी२ शपथपत्र सतीश कुमार में यह कथन किया गया है कि उक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है न ही विचाराधीन है।

प्रार्थिया व उनके संरक्षक/पिता न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि उक्त एफ.ए.एफ. ओ. सं.५०/२०१६ में पारित आदेश दिनांक १४.०२. २०२० के अनुसार मुब. ६२,०००/- रु. एवं इस राशि पर ७ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दावा दायर करने की दिनांक से दिलाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी ने ६२,००८/- रु. शेष क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कर दी है, जिसे प्रार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक ८२ पर पी.एन.बी. झाँसी में मुब. ६२,००८/- रु. जमा होने का इन्द्राज है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेब साइट पर माननीय उच्च न्यायालय का उक्त एफ.ए.एफ.ओ. उपलब्ध है, जो छाया प्रति के समान है। प्रार्थिया कुँ संध्या के बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रति भी पत्रावली पर दाखिल की है। मेरे विचार से प्रार्थिया उक्त धनराशि मय अब तक के समस्त व्याज को पाने की अधिकारिणी है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ७५/२०१४ (प्रकीर्ण वाद सं.९२/२०२० कुण् संध्या बनाम रहीस खान व २ अन्य) के प्रकरण में जमा धनराशि ६२,००८/- (बासठ हजार आठ) रु. मय अब तक के अर्जित ब्याज की धनराशि प्रार्थिया कु. संध्या के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सर्वाधिक ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना में उसके वयस्क होने तक के लिये जमा करें तथा उक्त असल सावधि जमा प्रपत्र न्यायाधिकरण में अबिलम्ब दाखिल करे । तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायालय को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।